न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला केकड़ी

(पीठासीन अधिकारी श्री गुरू प्रसाद तंवर)
आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 30/2024

1. श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्रवणलाल जाति खटीक निवासी रानवाडिया रत्नागिरी– पानी की टंकी के पास भुवाणा उदयपुर जिला उदयपुर (राजस्थान)

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार भिनाय जिला अजमेर

अप्रार्थी

उपस्थितः– श्री त्रिलोक जांगिड़ अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 24.04.24

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम कुम्हारियाखेडा पटवार हल्का सोबडी, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र एकलसिंहा तहसील भिनाय स्थित खातेदारी भूमि खसरा नं. 266 रकबा 1.30 हैं0 प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात है। प्रार्थी की खातेदारी आराजी में आने–जाने, कृषि उपकरण व प्राप्त उपज फसल को लाने–ले जाने हेतु सिवायचक भूमि खसरा नं. **264** का वर्षो से उपयोग व उपभोग करते चले आ रहें है जिस कारण उक्त आराजी पर प्रार्थी को सुखाधिकार के अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। प्रार्थी की भूमि पर आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात से 30 फीट चौडा रास्ता नियमानुसार शुल्क पर दिलवाने का निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी सं. 1 को प्रकरण प्रेषित कर जवाब मय मौका रिपोर्ट तलब की गई। पैरोकार सरकार ने जवाब मय रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें सिवायचक खसरा भूमि 264 में से प्रार्थी को रास्ता देने हेतु अप्रार्थी तहसीलदार भिनाय द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिस पर प्रार्थी ने भी सहमति प्रदान की। तत्पश्चात पैरोंकार सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि 266 रकबा 1.30 है0 में जाने हेतु रास्ता खसरा नं. 264 में से होकर ही जाता है। चूंकि तहसीलदार भिनाय ने अपने प्रतिवेदन में अवगत कराया है कि यह रास्ता पुश्तैनी चला आ रहा है इसलिए निर्धारित नियमानुसार रास्ते हेतु

उपखण्ड अधिकारी

आरक्षित की जाने वाली भूमि की दुगुनी लागत कायम करना ही उपयुक्त एवं न्यायोचित पाया जाता है। खसरा नं. 264 डी.एल.सी. दर 176819/– रू. प्रति हैक्टेयर बताई गई है। अतः खसरा नं. 264 में से 1430 वर्ग मीटर (156.38 मीटर लम्बा व 9.144 मीटर चौडा) भूमि रास्ते हेतु आरक्षित भूमि 12.77 रू. प्रति वर्ग मीटर राशि 36524/–रू. मुकर्रर की जाती हैं। प्रार्थी द्वारा राशि राजकोष में जमा कराई जावे। प्रार्थी खातेदार के लिए ग्राम कुम्हारियाखेडा पटवार हल्का सोबडी, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र एकलसिंहा तहसील भिनाय स्थित सिवायचक भूमि खसरा नं. 264 में से 1430 वर्ग मीटर भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नं. 266 तक रास्ता/मार्गाधिकार कायम किये जाने के आदेश पारित किए जाते है तथा तहसीलदार भिनाय को उनके राजस्व नक्शें में दर्शित रास्ते की यथानुसार तरमीम कर इन खसरा नं. का बट्टा नंबर कायम कर खाते सरकार किस्म रास्ते से लगाने के आदेश पारित किए जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो। नंबर से कम दर्ज होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.04.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(गुरू प्रसाद तंवर)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)